

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बैली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन सं।— 05/2017, बिहार राज्य के इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान (पी.एम.सी.एच.), पटना में सहायक निदेशक (कार्डियक सर्जरी) के 03 (तीन) रिक्त स्थायी पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन रिक्त 03 (तीन) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है :—

क्र.सं.	कोटि	कोटिवार रिक्ति	महिलाओं के लिए (35%) कोटिवार क्षैतिज आरक्षित पद
1.	गैर-आरक्षित वर्ग	02	01
2.	अनुसूचित जाति	—	—
3.	अनुसूचित जनजाति	—	—
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	01	—
5.	पिछड़ा वर्ग	—	—
6.	पिछड़ा वर्ग की महिला	—	—
	कुल	03	01

2. वेतनमान :— वेतनमान— 15600—39100/- + ग्रेड पे— 6600/-

3. अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव :— एम.एस. (जेनरल सर्जरी) और एम.सी.—एच. (कार्डियोथोरासिक सर्जरी)। अभ्यर्थी को मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया अथवा किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से स्थायी निबंधन प्राप्त होना आवश्यक है। उच्चतर डिग्री-धारकों एवं राज्य के सरकारी अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त स्नातकोत्तर डिग्री-धारक चिकित्सकों के कार्यानुभव को अधिमानता दी जायेगी।

विज्ञापन सं।— 06/2017, बिहार राज्य के इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान (पी.एम.सी.एच.), पटना में सहायक निदेशक (पैथोलॉजी) के 03 (तीन) रिक्त स्थायी पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन रिक्त 03 (तीन) पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है :—

क्र.सं.	कोटि	कोटिवार रिक्ति	महिलाओं के लिए (35%) कोटिवार क्षैतिज आरक्षित पद
1.	गैर-आरक्षित वर्ग	02	01
2.	अनुसूचित जाति	—	—
3.	अनुसूचित जनजाति	—	—
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	01	—
5.	पिछड़ा वर्ग	—	—
6.	पिछड़ा वर्ग की महिला	—	—
	कुल	03	01

2. वेतनमान :— वेतनमान— 15600—39100/- + ग्रेड पे— 6600/-

3. अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव :— एम.डी. (पैथोलॉजी) और भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कार्डियोलॉजी संस्थान में कम-से-कम तीन वर्षों का कार्यानुभव। अभ्यर्थी को मेडिकल काउन्सिल आफ इंडिया अथवा किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से स्थायी निबंधन प्राप्त होना आवश्यक है। उच्चतर डिग्री-धारकों एवं राज्य के सरकारी अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त स्नातकोत्तर डिग्री-धारक चिकित्सकों के कार्यानुभव को अधिमानता दी जायेगी।

उपर्युक्त दोनों विज्ञापनों हेतु उम्र सीमा एवं वयन का आधार

❖ उपर्युक्त दोनों विज्ञापनों हेतु योग्यता निर्धारण का कट-ऑफ-डेट — 01.08.2016 होगा।

नोट :— इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के अर्हता प्राप्त पदाधिकारी भी उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।
1. **उम्र सीमा** :— दिनांक 01.08.2016 को अधिकतम, अनारक्षित वर्ग के लिए— 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष) के लिए— 48 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के लिए— 48 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) के लिए— 50 वर्ष।

बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र सीमा 50 वर्ष होगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक— 2374, दिनांक—16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक— 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

2. **चयन का आधार** :— शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। रिक्ति/रिक्तियों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में आरक्षण कोटिवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नवत् होगा:—

(i)	भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. डिग्री में प्राप्तांक के लिए	—	40 अंक
(ii)	भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त एम.डी.एस. डिग्री में प्राप्तांक के लिए	—	10 अंक
(iii)	भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त डी.एम./एम.सी.एच. के लिए	—	10 अंक
(iv)	बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर स्नातकोत्तर डिग्री धारक द्वारा नियुक्ति के उपरान्त प्राप्त कार्यानुभव के लिए	—	
	(कार्यानुभव के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक)		25 अंक
(v)	साक्षात्कार के लिए	—	15 अंक
		कुल	100 अंक

टिप्पणी:-

- (i) एम.बी.बी.एस. डिग्री के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.4 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे $50\% \times 0.4 = 20$ अंक दिए जाएंगे।
- (ii) न्यूनतम अहंतंक 30 होगा।

3. आरक्षण :-

- (i) आवेदन प्रपत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा : -
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास (डोमिसिसइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा : -
- (a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र
- पिछड़ा वर्ग जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन प्रपत्र की कंडिका-6 में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	जाति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

4. शुल्क :-

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 25/- (पचीस) रूपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रूपये; कुल 75/- (पचहत्तर) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/- (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रूपये; कुल 150/- (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट <http://bpscbih.nic.in> से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

5. अन्य:

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

6. अंतिम तिथि:

- (i) पूर्णरूपेण मरा हुआ आवेदन पत्र केवल निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि वह बुधवार, दिनांक- 26.04.2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक विशेष सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब या किसी अन्य कारण से किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कर्तई जिम्मेवार नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

7. प्रविष्टि:

- (i) आवेदन इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाईट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही होना चाहिए। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्याइंट पेन से स्वहस्तालिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतराष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन-पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे:-
- | | | | |
|----|---|---|----|
| सि | न | र | धा |
|----|---|---|----|
- (i) आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्थिति, इस प्रकार भरा जाय -
- (ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा— ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंग एवं तादनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :—
- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | N | I | L | K | U | M | A | R | R | A | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- (iii) आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।
- (iv) आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 05 भरें।
उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुसूचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (v) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (X) कर दें।
- (vi) स्तम्भ (कॉलम) 10 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।
- (vii) स्तम्भ (कॉलम) 11 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (X) कर दें।

8. फोटोग्राफः

आवेदन-पत्र के पृ.-1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्राणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है, उसकी कम-से-कम तीन अंतिम अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे आयोग द्वारा माँगें जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

9. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
10. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अस्यार्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
11. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

12. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :-

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्राणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें।
- (i) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के लिए) एवं अंक पत्र;
 - (ii) एम.डी.डी.एस. की सभी परीक्षाओं के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र;
 - (iii) एम.डी./एम.एस. प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र;
 - (iv) डी.एम./एम.सी.-एच. प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र;
 - (v) संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि तथा उक्त संस्थान के भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो।
 - (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अस्यार्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति;
 - (vii) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति भी आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे।
 - (viii) आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्राणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
- (ii) 16 × 10 सेमी. का स्वपता लिखित एक लिफाफा (अनुक्रमांक निर्गत करने हेतु), जिसपर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- (iii) इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) जिसपर विज्ञापन सं. एवं पद का नाम अंकित है, को लिफाफे पर चिपकाते हुए प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) पर अपना पूरा पता अंकित करें।
13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट <http://bpsc.bih.nic.in> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
14. उपर्युक्त विज्ञापनों के संबंध में विस्तृत निर्देश, आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं बैंक चालान आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

30/3/2017
विशेष सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
विहार लोक सेवा आयोग, पटना।

बिहार लोक सेवा आयोग
विज्ञापन सं.- 06 / 2017,

पद का नाम— सहायक निदेशक , पैथोलॉजी

सेवा में,

विशेष सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग,
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेती रोड),
पटना — 800001

प्रेषक,
आवेदक का नाम—

पता—

मोबाइल संख्या